

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/20/2023

रजि० नम्बर
2023/289

प्रवेश तिथि
25.05.2023

निर्णय दिनांक
16.04.2025

1. प्रहलाद पुत्र गंगा सहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी, जिला अलवर राज०। —अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर (राज०)

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार थानागाजी
निर्णय दिनांक 09.12.2022 प्र.सं.
164/22

उपस्थित:-

01—श्री शैलेन्द्र भार्गव

—वकील अपी०

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील रेस्पोंड

—निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 09.12.2022 जिसके द्वारा अपी० को अतिक्रमी करार देते हुए आराजी खसरा नं० 51 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख.नं. 16 रकबा 0.01 है० किस्म सिवायचक लगानी गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी की सिवायचक लगानी (राज० जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि) भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित रकबे से बेदखल एवं 50 गुणा शास्ति 50 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट रजि० रजिस्टर कर रेस्पोंड को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी० ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हल्का पटवारी दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर के द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब थानागाजी जिला अलवर के समक्ष इस आशय की शिकायत पेश की कि ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी के आराजी खसरा नंबर क्रमशः 51, 16 रकबा 0.01, 0.01 हैक्टेयर किस्म सिवायचक लगानी गैर मुमकिन रास्ता पर सरसों की फसल बोकर अतिक्रमण किया हुआ है जिस गलत रिपोर्ट व मिथ्या तथ्यों पर तहसीलदार थानागाजी ने अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस मिन प्रार्थी अपीलान्ट को जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 09-12-2022 को आलौच्य निर्णय पारित करते हुये आदेश दिया गया। मिन अपीलान्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज० में स्थित है। जिस आराजी के पास लगता हुआ खसरा नंबर 51, 16 गैर मुमकिन रास्ता स्थित है तथा कथित आराजी खसरा नंबर 51, 16 रकबा 0.01, 0.01 हैक्टेयर वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज० की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई फसल बोई गई है। मात्र हल्का पटवारी के मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र व बयान के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में तहत न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश सादिर फरमाया गया है जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

हल्का पटवारी ने झूठे तथ्यों एवं राजनैतिक दबाव में आकर मिन अपीलान्ट को तंग व परेशान करने की नियत से खिलाफ मौका रिपोर्ट तहसीलदार थानागाजी को पेश की है जिस जिस रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं किया गया कि अपीलान्ट ने कहां पर व कितना अतिक्रमण किया है। मिन प्रार्थी अपीलान्ट व उसके परिवार के सदस्यों के खातेदारी की आराजी एवं गैर मुमकिन रास्ता की पैमाईश रिपोर्ट मिन प्रार्थी अपीलान्ट को आज तक नहीं दी गई। तथा मिन प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा पैमाईश रिपोर्ट की मांग करने पर हर बार

टाल बाल जवाब दिया जाता रहा है। और उक्त प्रकरण जवाब पेश करने के लिये छोटी छोटी तारीखे दी गई थी। तहसीलदार थानागाजी मिन अपीलान्ट को यह आश्वासन देते रहे कि पैमाईश रिपोर्ट के बाद जवाब दे देना और उक्त प्रकरण में जवाब के लिये छोटी छोटी तारीख देकर व मौखिक विश्वास दिया कि पैमाईश रिपोर्ट देने के बाद ही फैसला करूंगा लेकिन तहसीलदार साहब थानागाजी ने बिना तारीख बताये व बिना पैमाईश रिपोर्ट दिये ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट अपने कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज है तथा किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं किया गया पूर्व में भी मिन प्रार्थी अपीलान्ट व उसके परिवार के सदस्यों की आराजी की पैमाईश न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार साहब थानागाजी द्वारा की जा चुकी है जिसमें मिन प्रार्थी अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। जिसके बावजूद भी तहत अदालत ने अलौच्य आदेश दिनांक 09-12-2022 को पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का ने महज कयासिया अन्दाज के आधार पर अपीलान्ट के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त भूमि के पैमाईश डिमार्केशन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। बिना डिमार्केशन किये हुये या बिना सीमांकन किये हुये किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उक्त व्यक्ति ने उक्त खसरा नंबर पर कब्जा किया हुआ है। जिस कारण से भी यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। हल्का पटवारी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की गई है। नाही अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 91 (6) का नोटिस दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर पेश करनी होती है लेकिन उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर तहत न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है। तहत न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान साईक्लोस्टाईल में दिये गये है। तथा न्यायालय आदेश भी प्रिटेन्ड फोरमेट में पहले से छपे हुये आदेश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुये किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी पत्रावली की आदेशिका में यह दर्ज किया है कि निर्णय पृथक से लिखाया गया है। जोकि न्यायालय कार्यवाही के अनुसार संगत नहीं है। जिस कारण से आलौच्य आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में किया गया है अपीलान्ट को सुनवाई का व जवाबदेही का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था।

अपीलान्ट को तहत न्यायालय में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया नाही अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। तहत न्यायालय में मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर उक्त आदेश पारित किया गया है जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है। मिन प्रार्थी अपीलान्ट ने माह फरवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और उक्त प्रकरण में जानकारी चाही तो उन्होंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल के बाबत में हडताल जारी होना बताया गया जिस पर दिनांक 21-03-2023 को अधिवक्ताओं की हडताल समाप्त होने की जानकारी मिलने पर मिन प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 22-03-2023 को सम्पर्क किया तो उन्होंने तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-12-2022 की जानकारी दी। जिसकी नकल प्राप्त की और अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह मशविराह कर बिना देरी के अपील अपीलान्ट पेश है। जिसका अलग से दफा -5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर द्वारा मुकदमा संख्या 164/2022 बअनुवान सरकार बनाम प्रहलाद में पारित

164/22
श्री जिला कलेक्टर (प्रथम)
जलदट (राजग)

आदेश दिनांक 09-12-2022 को अपारस्त फरमाया जावे। एवं अन्य आज्ञा व अनुतोष बहक भिन अपीलान्त अता फरमाये जाने की कृपा करे।

रेस्पोंड की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार थानागाजी द्वारा अपील को अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमित रकबे से वेदखल कर प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपील खारिज की जावे।

सर्वप्रथम दफा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्तने यह अपील आदेश दिनांक 09.12.2022 के विरुद्ध दिनांक 04.04.2023 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 03 माह 26 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दफा-5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मददेनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का दुहार चौगान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नं० 51 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख.नं. 16 रकबा 0.01 है० किस्म सिवायचक लगानी (राज० जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि) गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दुहार चौगान अपीलान्त द्वारा आराजी खसरा नंबर 51 रकबा 0.01 है०, खसरा नंबर 16 रकबा 0.01 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से क्रमशः 0.01 है०, 0.01 है० भूमि पर जौ व सरसों काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अपीलाधीन आराजी के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर में विचाराधीन है, जिसमें मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। पत्रावली में संलग्न मा० न्याया० सिविल न्यायाधीश थानागाजी द्वारा प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में संचालित रास्ता अपीलान्त की खातेदारी भूमि में स्थित नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच किए बिना उक्त भूमि की रिपोर्ट बाबत अतिक्रमण पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी द्वारा भी उक्त भूमि की पैमाईश डिमार्केशन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की तथा बिना जांच ही निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का आदेश दिनांक 09.12.2022 को निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश थानागाजी, अलवर में विचाराधीन मूल वाद के अध्यक्षीन रहेगा। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)